

न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं०-138 सन् 2018

धूपति कुंअर वगैरह.....वादीगण।

बनाम

नवल सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक- 14.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी०पी०सी० के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं० 01 ता 07, 09 ता 10, 16 ता 24, 26 ता 27 एवं 31 ता 32 उपस्थित प्रकाशन के पश्चात् बहुत विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किए हैं। तामिला संपुष्ट होने के पश्चात् प्रतिवादी सं० 08, 11 ता 15, 25, 28, 29, 30, 33 एवं 34 प्रकाशन के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए हैं। तामिला संपुष्टि के पश्चात् इन लोगों के खिलाफ एकपक्षीय प्रक्रिया चल रही है कि पुनः तीसरा प्रतिवादी दिनांक दिनांक 25.01.2022 को प्रतिवादी सं० 15 चंद्रीका राय पिता स्व० भुलोटन राय की मृत्यु हो गई है। इसके पूर्व दो वादी पक्ष एवं प्रतिवादी की मृत्यु होने पर आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन पत्र दिया गया है आज तक प्रतिवादी के अधिवक्ता के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुनः तीसरी बार प्रतिवादी सं० 15 मुन्द्रिका राय की मृत्यु हो गई है। अतः निवेदन है कि दिनांक 25.01.2022 को प्रतिवादी सं० 15 मुन्द्रिका राय का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके सभी कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० 15 मुन्द्रिका राय वल्द स्व० भुलोटन राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 25.01.2022 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं० 15

मुन्द्रिका राय थे जिनकी मृत्यु अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं० 15 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है तथा शपथ पत्र के साथ सामर्थित है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.02.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।
वाद दिनांक.....को उपस्थिति हेतु।

सब जज
सोनपुर सारण।